क्या जंगल में रह पाएंगे चिड़ियाघर के शेर?

प्रमोद भार्गव

गुजरात के गिर अभयारण्य के शेरों को मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो-पालपुर के जंगल में बसाने में असफल रही मध्यप्रदेश सरकार अब चिड़ियाघर के चार शेरों को कूनो के जंगलों में बसाएगी। इसके बाबत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी.ज़ेड.ए.) की स्वीकृति भी मिल गई है। इनमें से नर-मादा का एक जोड़ा हैदराबाद से, एक मादा दिल्ली से और एक नर शेर भोपाल के वन विहार से लाए जाएंगे। ये शेर एशियाई शेर प्रजाति के ही हों यह जांचने के लिए इनका डी.एन.ए. टेस्ट भी करा लिया गया है।

गौरतलब है कि कूनो के वनों में गिर के शेरों को बसाने की स्वीकृति 1996 में इसलिए दी गई थी कि गिर के शेरों में महामारी फैलने पर उनकी नस्ल को बचाया जा सके। इस कारण से वन्य प्राणी विशेषज्ञों ने तय किया कि गिर के शेरों को किसी और अभयारण्य में भी बसाया जाए। लेकिन राजनैतिक-प्रशासनिक दाव-पेंच के चलते यह योजना खटाई में पड़ गई थी। जूनागढ़ (गुजरात) के गिर अभयारण्य में उचित संरक्षण के कारण इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि वहां जगह की कमी और आहार की समस्या उभरने लगी है। यहां वर्तमान में लगभग 200 शेर हैं।

वनराज को हिन्दी में शेर, संस्कृत में मृगेन्द्र, अरबी में असद, उर्दू में बब्बर शेर, अंग्रेज़ी में लायन और लेटिन में लियो कहते हैं। बिल्ली परिवार के इस सदस्य को भारतवर्ष में शेर और सिंह के नामों से जाना जाता है। भारतीय शेरों की लंबाई 250 सेंटीमीटर से 287 सेंटीमीटर के बीच होती है। अफ्रीकन शेर इससे 30 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा होता है। शेर की कुल लंबाई में इसकी पूंछ की लंबाई भी जुड़ी होती है और मात्र पूंछ 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। शेर का वज़न 20 से 250 किलोग्राम के बीच होता है।

शेर पूरे परिवार के साथ समूह में रहने का आदी है। समूह में सदस्यों की संख्या 20 तक होती है। एक समूह में वैसे तो एक ही नर होता है, पर अपवाद स्वरूप दो नर भी मिल जाते हैं। समूह में बाकी मादाएं और बच्चे होते हैं। परिवार में बच्चों की देखभाल शेरनी ही करती है। शेरनी शेर से ज़्यादा खतरनाक और फुर्तीली होती है। शिकार भले ही शेरनी करती है, पर भोजन के लिए शिकार सबसे पहले परोसा शेर को ही जाता है। शेर पहले स्वयं उदरपूर्ति करता है और बाद में शेरनी। आखिर में बचा मांस शावक खाते हैं। बिल्ली परिवार के अन्य सदस्यों में ऐसा अनुशासन देखने को नहीं मिलता।

शेरनी गर्भधारण करने के 108 दिन बाद 2-6 बच्चे जनती है। पर इनमें से सिर्फ दो-तीन शावक ही ज़िंदा रह पाते हैं। इन बच्चों की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है और वज़न 800 ग्राम के लगभग। शेरनी जब शिकार करने जाती है तो बच्चों को अपनी किसी मादा साथिन के हवाले कर जाती है।

गिर वन में दो-तीन शेरनियां मिलकर शिकार करती हैं। जब इन्हें आसपास शिकार के होने की भनक लगती है तो ये किसी एक शेरनी को पेड़ की ओट में घात लगाए बैठा देती हैं और दो शेरनियां शिकार को खदेड़ती हैं। जब शिकार घात लगाए बैठी शेरनी के पास आता है तो छिपी बैठी शेरनी छलांग लगाकर शिकार की गर्दन मुंह में दबोच लेती है और कुछ ही क्षणों में शिकार की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर सभी शेरनियां शिकार को परिवार के मुखिया के पास ले जाती हैं, जहां शिकार का सहभोज होता है।

शेरों का प्रिय आहार हिरण, नीलगाय, जंगली भैंसा, जंगली सूअर, हाथी, बंदर और शुतुरमुर्ग हैं। शिकार न मिलने पर ये छोटे पक्षी, यहां तक कि चूहा भी मारकर खा जाते हैं। शिकार के समय शेरों में बला की फुर्ती दिखती है। ये 12 फीट ऊंची और 40 फीट लंबी छलांग आसानी से लगा लेते हैं।

पूरी दुनिया में शेर केवल अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। एशिया में भी अब शेर भारत के गिर वन और कुछ चिड़ियाघरों में सिमटकर रह गए हैं। भारत के अलावा ईरान में भी शेर होने के प्रमाण मिले हैं। ईरान के खर्की नदी के इलाके में घनघोर जंगलों से आच्छादित एक पहाड़ी क्षेत्र है। 1971 में एक शेर यहां देखा गया था। अभी भी इक्का-दुक्का मवेशियों के शिकार किए जाने से ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि आदिम वनप्रांतरों में शायद शेर बचे हैं।

एशिया में शेरों का सबसे बड़ा ठिकाना भारत ही रहा है और आज भी है। अफ्रीकी और एशियाई शेरों की बनावट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। अफ्रीकी शेरों के बाल भारतीय शेरों की अपेक्षा ज़्यादा घने और लंबे होते हैं। पर भारतीय शेरों की खाल ज़्यादा मोटी और पूंछ झबरीली और लंबी होती है।

एशिया में भारत, ईरान, फिलीस्तीन और सीरिया में शेरों की बहुतायत थी। खासकर भारत में तो शेरों की भरमार थी। हर वन खण्ड में इनका निवास था। लेकिन जैसे-जैसे मनुष्य की आबादी बढ़ती गई और मनुष्य ने हिंसक प्राणियों को मारने के नए-नए तरीके ढूंढ लिए वैसे-वैसे शेरों का जंगलों से लुप्त होना शुरू हो गया। 15वीं शताब्दी में ये इस्राइल में पूरी तरह लुप्त हुए, 20वीं सदी के आरंभ में सभी अरब देशों से लुप्त हो गए।

भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक शेरों की तादाद काफी थी। इतनी बड़ी संख्या में बचे रहने का एक कारण यह भी था कि मुगल शासकों ने इनके शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा था। शेर केवल मुगल बादशाहों और नवाबों द्वारा शिकार के लिए आरक्षित थे। ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना के बाद इस प्रतिबंध को पूरी तरह हटा लिया गया। फलस्वरूप कर्नल जार्ज स्मिथ ने 300 शेरों का शिकार किया। एक अन्य फौजी अफसर ने दिल्ली के यमुना कछारों में 50 शेरों को मारा। भारतीय राजा-महाराजाओं और ज़मींदार-जागीरदारों ने भी इनका बेतहाशा शिकार शुरू कर दिया। एक ज़माना ऐसा था जब शेरों का शिकार भी एक होड़ में तब्दील हो गया था। इसका दुष्परिणाम यह निकला कि गुजरात के जूनागढ़ के अलावा शेर भारत के अन्य वनखण्डों में 20वीं सदी के प्रारंभ में ही समाप्तप्राय हो गए थे।

जूनागढ़ के नवाबों ने शेरों के संरक्षण में इतनी सख्ती बरती कि उन्होंने ब्रितानी अफसरों को भी किसी-न-किसी बहाने शेरों का शिकार नहीं करने दिया। बाद में लार्ड कर्जन ने भी इस दुर्लभ प्रजाति के महत्व को समझा और जूनागढ़ के नवाबों को शेरों के संरक्षण हेतु समुचित सुविधाएं दिलवाईं। शेर आज सबसे अधिक संख्या में गिर में ही हैं। यदि गिर वन में भी शेरों का विनाश हो जाता, तो चीते की तरह एशियाई शेरों की नस्ल का भी लोप हो चुका होता।

बाद में लार्ड कर्जन ने ग्वालियर राज्य के महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम को भी शेरों के संरक्षण की सलाह दी। 1904 के आसपास लार्ड कर्जन शिवपुरी, श्योपुर और मोहना के जंगलों में शेरों का शिकार करने आए थे, पर उस समय तक यहां शेर लुप्त हो चुके थे। बाद में कर्जन ने सिंधिया को शेरों का पुनर्वास करने की सलाह दी।

ग्वालियर ने 1905 में डेढ़ लाख रुपए का वार्षिक बजट निर्धारित कर शेरों के पुनर्वास की पहल शिवपुरी, श्योपुर व मोहना में की गई। वन्य जीवन के एक पारसी जानकार डी.एम. जाल को शेरों के पुनर्वास की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। जाल ने पहले जूनागढ़ के नवाबों से शेर शावक लेने की कोशिश की, लेकिन नवाबों ने साफ इन्कार कर दिया। बाद में जाल लार्ड कर्जन का एक सिफारिशी पत्र लेकर इथोपिया गए और दस शेर शावक जहाज़ में बिठाकर मुंबई लाए। इन शावकों की अगवानी करने स्वयं ग्वालियर महाराज मुंबई गए। मुंबई तक आते-आते दस में से सात बच्चे ही जिंदा बच पाए थे। इनमें से तीन शेर और चार शेरनियां थीं। इन शावकों को पहले ग्वालियर के चिड़ियाघर में ही पाला गया। वयस्क होने पर दो मादाओं ने गर्भधारण

किया और पांच शावक जने। इन शावकों के बड़े होने पर आठ शेर शिवपुरी के सुल्तानगढ़ जल प्रपात के पास बियाबान जंगलों में छोड़ दिए गए। इन जंगलों के बीच से पार्वती नदी बहती है। इस नदी के गहरे और चौड़े पाट के किनारे शेरों की खबर रखने के लिए एक पक्की कुटिया भी बनाई गई। इस कुटिया को इस तरह बनाया गया था कि ज़रूरत पड़ने पर शेरों के फोटो भी लिए जा सकें और बंदूक से शिकार भी किया जा सके।

चिड़ियाघर में पले-बढ़े शेर शिकार करने में तो कामयाब न हो सके, पर पालतू पशुओं और आदमियों को मारने में कामयाब रहे। 1910 से 1912 के बीच इन शेरों ने एक दर्जन लोगों को मारकर नरभक्षी हो जाने की तसदीक कर दी। इससे गांवों में हाहाकार मच गया। नतीजतन ग्वालियर महाराज ने ग्रामीणों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से शेरों को पकड़वा लिया। 1915 में इन्हें एक बार फिर श्योपुर के कूनो-पालपुर जंगल में बसाने का असफल प्रयास किया गया। यहां भी इनकी आदमखोर प्रवृत्ति जारी रही। इन्हें पकड़ने के प्रयास किए गए पर ये पकड़ में नहीं आए। बाद में इन्हें नीमच, झांसी, मुरैना व पन्ना में मार गिराए जाने के समाचार मिले।

स्वतंत्र भारत में एक बार फिर 1957 में शेरों के पुनर्वास की नाकाम कोशिश की गई। उत्तरप्रदेश की चन्द्रप्रभा नदी के किनारे गिर वन के शेरों के दो जोड़े छोड़े गए। शुरू में यह प्रयोग सफल भी रहा और इन जोड़ों ने प्रजनन भी किया। 1958 में यहां शेर शावक देखे गए। लेकिन बाद के वर्षों में इन शेरों को शिकारियों ने नाजायज़ तौर पर मार गिराया और पुनर्वास के प्रयास का एक और अध्याय समाप्त हो गया।

करीब एक दशक पहले भारतीय प्राणी विशेषज्ञों को एक बार फिर इन शेरों को गिर वन से निकालकर कहीं और बसाने की ज़रूरत महसूस हुई। इनके लिए ऐसे वैकल्पिक आवास तलाशे गए, जहां पहले भी शेर रहे हों। इसके लिए राजस्थान के वनखण्ड सुझाए गए। ये थे जसवंतपुरा और माउंट आबू के जंगल कुंभलगढ़ का सीता माता अभयारण्य और जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र का मरु राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन प्रसिद्ध वन्य प्राणी विशेषज्ञ कैलाश सांखला ने इन अभयारण्यों को शेरों के लिए अनुपयोगी ठहरा दिया है। लिहाज़ा वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून ने मध्यप्रदेश में कूनो-पालपुर अभयारण्य को शेरों का नया आवास बनाने के लिए सर्वेक्षण कराया और यहां शेरों को बसाने का प्रस्ताव केंद्र, मध्यप्रदेश तथा गुजरात सरकार को दिया। लेकिन गुजरात सरकार ने मध्यप्रदेश को एशियाई शेर देने से इन्कार तो किया ही, यह आरोप भी लगाया कि मध्यप्रदेश जब अपने यहां मौजूद वन्य जीवों का उचित लालन-पालन नही कर पा रहा है तो वह इन शेरों को कैसे रख पाएगा?

यह सही है कि मध्यप्रदेश में वन्य प्राणियों तथा जंगलों की देखभाल संतोषजनक नहीं है, ऐसे में चिड़ियाघरों के शेर खुले जंगलों में बसाए जाने का निर्णय खतरनाक भी साबित हो सकता है। ग्वालियर राज्य में जिस तरह से शेर नरभक्षी होकर ग्रामीणों एवं मवेशियों के लिए संकट बन गए थे, वैसा ही संकट कूनो-पालपुर में भी पैदा हो सकता है। बहरहाल शेरों का पुनर्वास ज़रूरी है क्योंकि गिर वन में कोई प्राकृतिक आपदा आ पड़ी अथवा कोई महामारी फैल गई तो एशियाई शेरों की प्रजाति पूरी दुनिया से ही लुप्त हो जाएगी। ***(स्रोत फीचर्स)***

स्रोत के पिछले अंक

एक वर्ष सजिल्द रुपए 200.00 डाक खर्च रुपए 25.00 अतिरिक्त